Labour-Management Disputes

1219. SHRI DAULATSINHJI JADEJA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of labour-management disputes in the country during the last three years;

(b) the factors responsible for the same; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to reduce the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOURE (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) and (b). A statement showing the number of industrial disputes, by causes, during the calander years 1977, 1978 and 1979 is attached.

(c). Industrial Relations situation remained under constant watch of the Government. Industrial Relations Machinery both at the Centre and the States continued to make efforts to minimise work stoppages through informal mediation, conciliation, adjudication or arbitration, as necessary under the existing statutory provisions and/or voluntary arrangements.

Statement

The Number of industrial disputes, by causes, during the Calander years 1977, 1978 and 1979

Cause-Group	No. of industrial disputes (Strikes & Lockouts)		
	1977	1978	1979(P)
Wages and Allowances	925	887	927
Bonus	450	308	256
Personnel	599	675	562
Retrenchment	82	75	72
Leave and Hours of Work	66	62	69
Indiscipline and Violence	261	330	274
Others	581	757	765
Not known	153	93	143
Total	3,117	3,187	3,068

(P) Provisional

सीमेंट के छोटे कारखानों की स्थापना

1221. **श्री कालीचरण शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) देश में स्थापित किये गये सीमेंट के ऐसे कितने छोटे कारखाने है, जहां उत्पादन शुरू हो गया है और वे कहां-कहां पर है ;

(ख) प्रत्येक कारखाने की निर्माण लागत और उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ग) सीमेंट के छोटे कारखानों की ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिनके

कारण ये कारखाने स्थापित करने के लिये काफी संख्या में छोटे उद्यमी आगे नहीं आ पा रहे हैं ; और

(घ) अधिकतम संख्या में छोटे सीमेंट कारखानों की स्थापना करने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने क्या कार्यक्रम तैयार किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) गुजरात में कच्छ जिले के नेत्रा स्थान में एक मिनी सीमेंट संयंत्र ने उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है ।

(ख) नेत्रा कच्छ में स्थापित संयंत्र के लिये स्वीकृत क्षमता 100 मी० टन प्रति दिन है तथा प्रथमत : 30 टी०पी०डी० क्षमता वाली एक वर्टिकल शाफ्ट की स्थापना कर दी गई है । योजना आयोग द्वारा गठित सीमेंट संबंधी कार्यकारी दल द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्टिकल शाफ्ट क्विन पर आधारित प्रतिदिन 100 मी० टन अधिष्ठापित क्षमता वाले संयंत्र पर प्रति मी० टन निवेश 563.97 रुपये है ।

(ग) प्रमुखत : आर्थिक/वित्तीय जीव्यता संबंधी शंकाओं और वित्तीय सहायता की कमी के कारण मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना संबंधी योजनाओं की प्रगति धीमी रही हैं ।

(घ) देश में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहीत करने के विचार से, सरकार ने अनेक वित्तीय और अन्य प्रोत्साहनों की घोषणा की है । इन प्रोत्साहनों की विस्तृत जानकारी देने वाले नोट की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

वी० बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, उज्जैन द्वारा भविष्य निधि की राशि का जमा कराया जाना

1222. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी० बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, उज्जैन (मध्य प्रदेश) के कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशियां भविष्य निधि कार्यालय के पास जमा कराने के स्थान पर कर्मचारियों के बचत बैंक लेखे में जमा कराई जाती है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) भविष्य निधि में अंशदान करने के पात्र कर्मचारियों की संख्या कितनी है और समिति ने उनकी भविष्य निधि की राशियों को बैंक में जमा कराना कब से आरम्भ किया है तथा अब तक कितनी राशियां जमा कराई जा चुकी है और कितनी अभी बकाया है ; और

(ग) उक्त समिति के कर्मचारियों की भविष्य निधि राशियों को भविष्य निधि कार्यालय के पास जमा कराने और बकाया वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). कर्मचारी भविष्य निधी प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि वी० बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, उज्जैन, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 के अधीन नहीं आती, क्योंकि इस समिति के कर्मचारी स्वंय उक्त समिति के हिस्सेदार हैं और ये कर्मचारी असल में 1952 के अधिनियम की धारा 2(च) के में परिभाषित "कर्मचारी" की परिभाषा में